कानपुर-आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए अलग कंपनी का गठन

नोएडा, ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बना रहेगा

यूपी कैबिनेट

लखनऊ | विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो के लिए गठित नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन का अलग अस्तित्व बनाए रखने का फैसला किया है। सरकार ने कानपुर एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम जल्द शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से एक अलग कंपनी का गठन करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में फैसले की खास बात यह है कि कानपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि शहरों में भविष्य में मेट्रो रेल और रैपिड रेल की परियोजनाएं अब इसी कंपनी के जरिए संचालित की जाएंगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के सुझाव पर कि एक ही एसपीवी (स्पेशल व्हीकल परपज) होनी चाहिए, इस एक कंपनी का गठन किया गया है। क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहले से ही मेट्रो चल रही है और वहां नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन का गठन पहले ही हो चुका है। इसलिए नोएडा मेट्रो कारपोरेशन का अलग अस्तित्व बना रहेगा और यह कंपनी नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन से अलग होगी।

उन्होंने बताया कि कानपुर और आगरा सहित यूपी के अनेक शहरों में मेट्रो व रैपिड रेल का काम शुरू होना है। इसके लिए पहली अप्रैल, 2019 को केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ यूपी सरकार की हुई बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया था। फैसले को यूपी की कैबिनेट से मंजूरी जरूरी थी। इसलिए कैबिनेट में यह प्रस्ताव मंजूर करने के लिए लाया गया। अब इस फैसले से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा।

लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट बैठक के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

ओबीसी की पुत्रियों की शादी अनुदान की समय सीमा बढ़ी

यूपी कैबिनेट ने अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना के तहत लाभ देने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान शादी अनुदान नहीं मिल पाने के कारण किया गया है। उन्होंने बताया कि मार्च में होने वाली पुत्रियों की शादी के लिए मार्च, 2019 में प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही के लिए समय-सीमा अगले वित्तीय वर्ष के 31 मई, 2019 से बढ़ाकर 30 जून, 2019 तक किए जाने का निर्णय लिया है।